

सुलभ संगणक (Ready Reckoner)



कुशल
युवा
कार्यक्रम

बिहार कौशल विकास मिशन

कुशल युवा कार्यक्रम (KYP)



श्रम संसाधन विभाग
नियोजन भवन, बेली रोड, पटना

ई-मेल: biharskilldevelopmentmission@gmail.com

विषय सूची

क्र सं	विवरणी	पृष्ठ
1	कुशल युवा कार्यक्रम का परिचय एवं योजनाए	02
2	कुशल युवा कार्यक्रम के प्रकार	02
3	प्रशिक्षणार्थियोंकी आयु सीमा	02
4	प्रशिक्षणार्थियों की योग्यता	03
5	मूल्यांकन एवं प्रमाणन	03
6	प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन	03
7	प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन शुल्क	04
8	प्रशिक्षण केन्द्रो का पंजीयन एवं वार्षिक नवीनीकरण	04
9	पंजीकृत केन्द्रो से कोर्स पंजीयन शुल्क	04
10	पोर्टल उपयोग शुल्क	05
11	रिफण्डेबल सिक्यूरिटी डिपॉजिट	05
12	लर्निंग फैसिलिटेटर – योग्यता एवं प्रशिक्षण	05
13	प्रशिक्षण शुल्क राशि (दर)	05
14	प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान	06
15	ट्रेनिंग कैलेण्डर	06
16	पठन-पाठन सामग्री का वितरण	07
17	मासिक किराया	07
18	केन्द्र का आधारभूत संरचना	08
19	पंजीकृत प्रशिक्षण केन्द्रों से संबंधित विवरणी में परिवर्तन हेतु प्रक्रियाए	09
20	स्थान परिवर्तन	09
21	बैंक खाता / बैंक खाता संबंधी विवरणी में परिवर्तन	11
22	मेल आईडी0 तथा मोबाईल नम्बर में परिवर्तन	13
23	केन्द्र निरीक्षण प्रपत्र	14
24	जिला वार केन्द्रों की संख्या	15
25	कुशल युवा कार्यक्रम की वर्षवार प्रगति	16

कुशल युवा कार्यक्रम

योजनाएं – उद्देश्य, प्रमुख साझेदार, प्रशिक्षण केन्द्र-प्रक्रियाएं एवं मानदंड

राज्य सरकार की योजना 'सात निश्चय' के अधीन 'आर्थिक हल युवाओं को बल' के अन्तर्गत कुशल युवा कार्यक्रम की परिकल्पना की गई। 16 दिसम्बर 2016 को 48 केन्द्रों एवं 1978 प्रशिक्षणार्थियों के साथ कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिसमें राज्य के 15-28 वर्ष के युवाओं को रोजगार परक बनाने के उद्देश्य से 240 घंटे का प्रशिक्षण चलाया जाता है, जिसमें 40 घण्टे का व्यवहार कौशल, 80 घण्टे का संवाद कौशल, अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषाओं में एवं 120 घण्टे के बुनियादी कम्प्यूटर साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के लिए ई-लर्निंग मोड का उपयोग किया जाता है। गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षक प्राप्त करने और केंद्रों में एकरूपता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षकों (प्रारंभिक) का मूल्यांकन (स्वयं सीखने और मॉक टेस्ट के बाद) और उसके बाद प्रमाणीकरण किया जाता है। यह सुनिश्चित करना कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) की प्रमुख जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा तैनात प्रत्येक प्रशिक्षक ओएनसीईटी परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं उत्तीर्ण प्रमाणित प्रशिक्षक ही प्रशिक्षण देने के पात्र होंगे।

कुशल युवा केन्द्र मुख्यतः तीन प्रकार के हैं-

1. **SDC** - इन केन्द्रों की स्थापना प्राइवेट प्रशिक्षण प्रदाता करते हैं और इन केन्द्रों में लगाये गये सभी संसाधन इनकी निजी होती है।
2. **BSDC** - इन केन्द्रों की स्थापना हेतु भवन एवं फर्नीचर बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जो सामान्यतः ब्लॉक हेडक्वार्टर में होता है। इन केन्द्रों का संचालन भी प्राइवेट प्रशिक्षण प्रदाता करते हैं और भवन एवं फर्नीचर को छोड़कर बाकी सभी संसाधन इनकी निजी होती है।
3. **GTP - ITI and P&E** - इन केन्द्रों की स्थापना सरकारी आई0टी0आई0 एवं पॉलिटैक्निक कॉलेज में की जाती है जिसका संचालन भी इन्हीं के माध्यम से किया जाता है।

इस कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न नियम इस प्रकार हैं-

प्रशिक्षणार्थी की आयु सीमा

15 से 28 वर्ष है जिसमें विशिष्ट वर्ग हेतु निम्न प्रकार से छूट दी गई है:-

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति - 33 वर्ष
- दिव्यांग - 33 वर्ष
- अन्य पिछड़ा वर्ग - 31 वर्ष

- तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अथवा शिक्षा प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी यदि कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण चाहते हों तो उन्हें जिला पंजीकरण सह परामर्श केन्द्र (DRCC) में पंजीकरण से छूट रहेगी और वे सीधे किसी भी कुशल युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण केन्द्र पर पंजीकृत हो सकेंगे और इन पर आयु की अधिकतम सीमा 28 वर्ष लागू नहीं होगा।

प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम योग्यता :- 10वीं पास

प्रशिक्षण की अवधि :- 240 घंटे

सूचना प्रौद्योगिकी :- 120 घंटे

संवाद कौशल :- 80 घंटे

व्यवहार कौशल :- 40 घंटे

मूल्यांकन एवं प्रमाणन

- कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण का एकीकृत ऑनलाईन मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा किया जाता है।

प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन

- निविदा आधारित या ऑनलाईन इम्पैनलमेंट के माध्यम से।
- चयन के पश्चात् केन्द्रों को बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर पंजीकरण करना।
- पंजीकरण की प्रक्रिया –
 - बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा केन्द्रों का लॉग-इन आईडी0 एवं पासवर्ड जनरेट कर दिया जाता है।
 - केन्द्रों द्वारा संस्था का वर्णन, आवश्यक दस्तावेज, इन्फ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स आदि पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाता है।
 - बिहार कौशल विकास मिशन के जिला इकाई द्वारा द्वारा आवेदित केन्द्रों का स्थल एवं आधारभूत संरचना की जाँच की जाती है। तदोपरांत राज्य इकाई को केन्द्र के अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।
 - राज्य इकाई द्वारा पोर्टल पर दर्ज विवरणियों का निरीक्षण एवं सत्यापन तथा केन्द्र के अनुमोदन हेतु अनुशंसा।
 - केन्द्रों के अंतिम अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का आदेश।

प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन शुल्क

- गैर वापसी पंजीयन शुल्क रू. 500 प्रति केन्द्र (बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित), प्रत्येक आवेदक से डेस्क अप्रैजल एवं ड्यू डिलिजेंस हेतु लिये जायेंगे।
- हालाँकि, बिहार कौशल विकास मिशन इस संबंध में कुछ संस्थाओं/कुछ प्रकार के केंद्रों/कुछ योजनाओं को आम तौर पर या विशेष रूप से आवश्यक समझे जाने पर किसी विशिष्ट को, इस शुल्क को बढ़ाकर या घटाकर या इसमें छूट देने का निर्णय ले सकता है।

प्रशिक्षण केन्द्रों का पंजीयन एवं वार्षिक नवीनीकरण शुल्क

- प्रत्येक चयनित केन्द्रों को रू. 3000 (बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) केन्द्र पंजीयन शुल्क के तौर पर देना होगा।
- संतोषप्रद प्रदर्शन की स्थिति में केन्द्र पंजीयन का वार्षिक नवीनीकरण होगा।
- प्रत्येक पंजीकृत केन्द्र को रू. 1500 (बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के तौर पर देना होगा।
- वार्षिक नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की जायेगी जिसमें सभी केन्द्रों को नवीनीकरण हेतु एक ऑनलाईन अण्डरटेकिंग (वचन पत्र) देना होगा।
- प्रारंभिक पंजीकरण या उसके बाद कोई भी नवीनीकरण केवल उस वित्तीय वर्ष के अंत तक ही वैध होगा, जिसमें केंद्र पंजीकृत/नवीनीकृत होता है या अन्यथा बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में जैसा सूचित किया जाता है, जिसके बाद केंद्र के पंजीकरण/नवीनीकरण की वैधता कानूनी या अन्य सभी उद्देश्यों के लिए स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

पंजीकृत केन्द्रों से कोर्स पंजीयन शुल्क

- प्रत्येक पंजीकृत कौशल प्रशिक्षण केन्द्र को प्रति कोर्स रू. 1000, (बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) कोर्स पंजीयन शुल्क के तौर पर देना होगा।
- संतोषप्रद प्रदर्शन की स्थिति में कोर्स पंजीयन का वार्षिक नवीनीकरण होगा।
- प्रत्येक पंजीकृत केन्द्र को प्रति कोर्स रू. 1000 (बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) कोर्स के वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के तौर पर देना होगा।
- वार्षिक नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की जायेगी।
- प्रारंभिक पंजीकरण या उसके बाद कोई भी नवीनीकरण केवल उस वित्तीय वर्ष के अंत तक ही वैध होगा, जिसमें कोर्स पंजीकृत/नवीनीकृत होता है या अन्यथा बिहार कौशल विकास

मिशन द्वारा अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में जैसा सूचित किया जाता है, जिसके बाद कोर्स के पंजीकरण/नवीनीकरण की वैधता कानूनी या अन्य सभी उद्देश्यों के लिए स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

पोर्टल उपयोग शुल्क

- प्रति कोर्स प्रति प्रशिक्षणार्थी रु. 950 (i.e. INR 3.95833 per candidate per hour for 240 hours) प्रशिक्षण केन्द्रों को देय राशि में से कटौती की जायेगी।

रिफण्डेबल सिक्यूरिटी डिपॉजिट

- प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को रु. 1000 रिफण्डेबल सिक्यूरिटी डिपॉजिट के तौर पर देना होगा।
- केन्द्र संचालकों के द्वारा प्रत्येक बैच के प्रारंभ से पूर्व, रिफण्डेबल सिक्यूरिटी डिपॉजिट प्रशिक्षणार्थियों से एकत्र कर, पोर्टल पर वॉलेट के माध्यम से बिहार कौशल विकास मिशन को देना होगा।
- सिक्यूरिटी जमा राशि केवल उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को ही वापस की जायेगी।
- सिक्यूरिटी जमा राशि बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे प्रशिक्षणार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।
- असफल भुगतान, यदि कोई हो तो, को प्रशिक्षणार्थियों के आधार लिंकड बैंक खाते में वापस की जायेगी।

लर्निंग फैसिलिटेटर – योग्यता एवं प्रशिक्षण

- न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता एवं केवाईपी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या कंप्यूटर विज्ञान में उच्च डिग्री/डिप्लोमा।
- कुशल युवा कार्यक्रम हेतु बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा ऑनसेट के माध्यम से प्रशिक्षकों का चयन किया जाता है।
- बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षकों के लिये आवासीय/गैर आवासीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
- आवासीय/गैर आवासीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु मिशन द्वारा निर्धारित व्यय का वहन संबंधित कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा किया जायेगा।

प्रशिक्षण शुल्क राशि (दर)

- कुशल युवा कार्यक्रम हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रु. 40 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति घंटे देय होगा।

- प्रशिक्षण शुल्क केवल प्रमाणित प्रशिक्षणार्थियों के विरुद्ध ही देय होगा।
- बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण शुल्क की बढ़ोतरी की जायेगी।

प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान – अंतिम रूप से केवल प्रमाणित प्रशिक्षणार्थियों के लिये ही देय होगा।

- **प्रतिदिन 4 घंटे चलने वाले बैचों के लिये –**

- प्रशिक्षण शुल्क का 30 प्रतिशत – पाठ्यक्रम की एक तिहाई अवधि पूरी होने पर या 1 महीना, जो भी बाद में हो, पाठ्यक्रम की अवधि के एक तिहाई के बराबर उपस्थिति वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए।
- प्रशिक्षण शुल्क का 30 प्रतिशत – पाठ्यक्रम की दो तिहाई अवधि पूरी होने पर या 2 महीना, जो भी बाद में हो, पाठ्यक्रम की अवधि के दो तिहाई के बराबर उपस्थिति वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए।
- प्रशिक्षण शुल्क का 40 प्रतिशत – अंतिम मूल्यांकन और प्रमाणन के पश्चात (पूर्व के सभी देय राशि के समायोजन के बाद) सभी प्रमाणित प्रशिक्षणार्थियों के विरुद्ध।

- **प्रतिदिन 2 घंटे चलन वाले बैचों के लिये –**

- प्रशिक्षण शुल्क का 30 प्रतिशत – पाठ्यक्रम की एक तिहाई अवधि पूरी होने पर या 2 महीना, जो भी बाद में हो, पाठ्यक्रम की अवधि के एक तिहाई के बराबर उपस्थिति वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए।
- प्रशिक्षण शुल्क का 30 प्रतिशत – पाठ्यक्रम की दो तिहाई अवधि पूरी होने पर या 4 महीना, जो भी बाद में हो, पाठ्यक्रम की अवधि के दो तिहाई के बराबर उपस्थिति वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए।
- प्रशिक्षण शुल्क का 40 प्रतिशत – सभी प्रमाणित उम्मीदवारों के विरुद्ध अंतिम मूल्यांकन और प्रमाणन का भुगतान किया जायेगा।

ट्रेनिंग कैलेण्डर

- किसी भी प्रशिक्षण बैच की शुरुआत माह के 1 या 15 तारीख को या योजना विशेष में वर्णित अथवा बिहार कौशल विकास मिशन के निर्देशों के अनुसार होगी। यदि इन तारीखों में कोई भी छुट्टी होती है तो बैच प्रारंभ की तिथि आगामी कार्यादिवस होगी। प्रशिक्षण प्रारंभ तिथि को आवश्यकतानुसार घटाने या बढ़ाने का अधिकार मिशन के पास सुरक्षित है।

बैच साईज

- न्यूनतम 20 एवं अधिकतम 30 प्रशिक्षणार्थी प्रति बैच ।
- न्यूनतम एवं अधिकतम बैच साईज को बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा भविष्य में या तो आम तौर पर या विशेष रूप से संशोधित किया जा सकता है ।

पठन-पाठन सामग्री का वितरण

- कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को किसी भी बैच को प्रारंभ करने से पूर्व कोर्स सामग्री (किताब) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को उपलब्ध कराना होगा ।
- सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिये बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा बिना किसी शुल्क के पुस्तक उपलब्ध कराया जाता है, जिसे संबंधित केन्द्रों के माध्यम से वितरित किया जाता है ।

मासिक किराया :-

कौशल प्रशिक्षण केन्द्र (एसडीसी) – एस डी सी के मामले में भवन की जिम्मेदारी केंद्र संचालक की होती है । अतएव इसमें मासिक किराये का प्रावधान नहीं है ।

प्रखंड कौशल प्रशिक्षण केन्द्र (बीएसडीसी) –

- कुशल युवा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न ब्लॉक स्तर पर बीएसडीसी चलाने हेतु प्रशिक्षण प्रदाता संस्था को निम्न रूप से मासिक किराया देना होगा—
 - बीएसडीसी – वर्ग 'ए' ब्लॉक रु. 2400 प्रति माह
 - बीएसडीसी – वर्ग 'बी' ब्लॉक रु. 2000 प्रति माह
 - बीएसडीसी – वर्ग 'सी' ब्लॉक रु. 1600 प्रति माह
 - बीएसडीसी – वर्ग 'डी' ब्लॉक रु. 1200 प्रति माह
- बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा बीएसडीसी को देय प्रशिक्षण शुल्क में से मासिक किराये की राशि घटा दी जायेगी ।
- बीएसडीसी के द्वारा मासिक विद्युत विपत्रों के भुगतान की पुष्टि के पश्चात ही प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा ।
- बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा समय-समय पर बीएसडीसी के मासिक किराये की राशि में बढ़ोतरी की जायेगी ।

आई टी आई एवं पी – ई

आई टी आई एवं पी – ई के मामले में केंद्र महाविद्यालय परिसर में ही संचालित होती है । अतएव इसमें मासिक किराये का प्रावधान नहीं है ।

रोजगार

- कुशल युवा कार्यक्रम में रोजगार की बाध्यता नहीं है बल्कि यह युवाओं को रोजगारपरक बनाने हेतु एक कार्यक्रम है जिससे उनको अच्छी नौकरी का अवसर प्रदान होता है।

केन्द्र का आधारभूत संरचना:—

क्र सं	आई0टी0 आधारभूत संरचना	20 प्रशिक्षणार्थी के लिये	30 प्रशिक्षणार्थी के लिये
1.	सर्वर	01	01
2.	कम्प्यूटर	22	32
3.	बायोमेट्रिक उपकरण	01	01
4.	हेडफोन	25	35
5.	सी0सी0टी0वी0	01	01
6.	प्रिंटर	01	01
7.	स्कैनर	01	01
8.	प्रोजेक्टर / एल0सी0डी0 टी0वी0	01	01
9.	स्पीकर	01	01
10.	पंजीकृत सॉफ्टवेयर	22	32
11.	माउस एवं माउस पैड	22	32

❖ अन्य आधारभूत संरचना:—

- परामर्श क्षेत्र / रिसेप्शन क्षेत्र / कार्यालय क्षेत्र
- लेक्चर रूम / क्लास रूम
- कम्प्यूटर लैब
- साफ शौचालय
- पॉवर बैकअप
- यु0पी0एस0
- सुविधापूर्ण बैठने की व्यवस्था
- पुस्तकालय / किताब / सीडी / डीवीडी / इत्यादि
- सूचनापट
- प्रकाश की समूचित व्यवस्था
- हवादार कक्ष
- सुझाव पेटी
- जूता / चप्पल रखने की व्यवस्था

पंजीकृत प्रशिक्षण केन्द्रों से संबंधित विवरणी में परिवर्तन हेतु प्रक्रियाएं एवं चेकलिस्ट

1. स्थान परिवर्तन

- प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा स्थान परिवर्तन हेतु आवेदन ऑनलाईन माध्यम से दिया जायेगा।
- स्थल परिवर्तन हेतु आवेदन की प्रक्रिया दो चरणों यथा (i) सैद्धांतिक सहमति (ii) अंतिम अनुमोदन, में दी जाएगी।
- ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रशिक्षण केन्द्रों को निम्न कागजात अपलोड करने होंगे—
 - स्थान परिवर्तन हेतु संस्था द्वारा पारित रिजॉल्यूशन की प्रति
 - प्रस्तावित मकान मालिक की सहमति
 - प्रस्तावित स्थल की 2 जियो टैग्ड फोटोग्राफ
 - अंतिम अनुमोदन के पूर्व किरायानामा
- स्थल परिवर्तन हेतु केवल निम्नांकित कारण ही मान्य होंगे
 - मकान मालिक द्वारा किरायानामा समझौता जारी न रखना
 - मकान मालिक द्वारा परिसर खाली करने के लिए नोटिस दिया गया
 - कोई अन्य कारण जिस पर बीएसडीएम की संतुष्टि हो
- कुशल युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण केन्द्र के स्थल परिवर्तन हेतु मानदंड
 - न्यूनतम कक्षा 200 वर्गफुट
 - न्यूनतम लैबरूम 200 वर्गफुट
 - न्यूनतम रिसपेशन 50 वर्गफुट
 - पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग शौचालय
 - प्रस्तावित पता उसी ब्लॉक में है (ब्लॉक में कोई बदलाव नहीं)
 - 1 या 2 किलोमीटर के नियम का पालन किया गया या नहीं
 - शहरी क्षेत्र के लिए— 1 किलोमीटर के आसपास कोई अन्य केन्द्र नहीं
 - ग्रामीण क्षेत्रों के लिए— 2 किलोमीटर के आसपास कोई अन्य केन्द्र नहीं
 - जिला एवं राज्य पीएमयू द्वारा स्थान परिवर्तन हेतु अनुशंसा

पता परिवर्तन प्रक्रिया के लिए सूची (कुशल युवा कार्यक्रम-केवाईपी कौशल विकास केंद्र)

केंद्र कोड		
केंद्र का नाम		
आवेदन सैद्धांतिक अनुमोदन या अंतिम अनुमोदन के लिए है		
सैद्धांतिक अनुमोदन का विवरण		पृष्ठ संख्या
एसडीसी द्वारा ऑनलाइन आवेदन		
आवेदन की तिथि		
पते में परिवर्तन के लिए केंद्र के द्वारा पारित उचित प्रस्ताव।		
पता बदलने का कारण क) मकान मालिक द्वारा किराया समझौते को जारी न रखना। ख) मकान मालिक द्वारा परिसर खाली करने के लिए दिया गया नोटिस। सी) बीएसडीएम की संतुष्टि के लिए कोई अन्य कारण।		
मौजूदा पता-		
प्रस्तावित पता-		
विधिवत भरा हुआ अनुबंध-1 (प्रस्तावित केंद्र/स्थान विवरण)		
प्रस्तावित स्थल के मालिक से सहमति/किराया करार का पत्र		
जिला टीम के फॉर्म में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट		
दो जियो टैग की गई तस्वीरें		
200 वर्ग फुट की न्यूनतम कक्षा		
200 वर्ग फुट का न्यूनतम लैब रूम		
50 वर्ग फुट का न्यूनतम रिसेप्शन		
पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग शौचालय		
प्रस्तावित पता एक ही ब्लॉक में है (ब्लॉक का कोई परिवर्तन नहीं)		
1 या 2 किमी नियम का पालन किया गया या नहीं शहरी क्षेत्र के लिए- 1 किमी के आसपास कोई अन्य केंद्र नहीं ग्रामीण क्षेत्र के लिए- 2 किमी के आसपास कोई अन्य केंद्र नहीं		
पते में परिवर्तन के लिए राज्य प्रबंधन टीम की सिफारिश: सैद्धांतिक अनुमोदन		
अंतिम अनुमोदन		पृष्ठसंख्या
सैद्धांतिक अनुमोदन पहले प्राप्त किया गया (फ़ाइल संख्या और नोट शीट का उल्लेख करें)		
किराया समझौता		
जिले की टीम के दौरे की रिपोर्ट		
दो जियो-टैग की गई तस्वीरें		
पते में परिवर्तन के लिए राज्य प्रबंधन दल की सिफारिश: अंतिम अनुमोदन		

2. बैंक खाता/बैंक खाता संबंधी विवरणी में परिवर्तन

- प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा बैंक खाता/बैंक खाता संबंधी विवरणी में परिवर्तन हेतु आवेदन ऑफलाईन माध्यम से दिया जायेगा।
- संस्था द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन को हार्ड कॉपी में विस्तृत आवेदन जमा करना।
- आवेदन और सभी संलग्नकों पर निम्नलिखित रूप से हस्ताक्षर होने चाहिए—
 - प्रोपराइटरशिप वाले केंद्र – प्रोपराइटर के द्वारा।
 - पार्टनरशिप फर्म – सभी पार्टनर द्वारा।
 - कंपनी – पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में प्रबंध निदेशक/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मामले में सभी निदेशकों द्वारा।
 - सोसायटी/ट्रस्ट – सोसायटी/ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों द्वारा, जिसमें सोसायटी/ट्रस्ट के चेयरमेन/प्रेसिडेंट, सचिव एवं कोषाध्यक्ष अनिवार्य रूप से शामिल होंगे।
- आवेदन में परिवर्तन का कारण, पुराने एवं नये बैंक खाते की विस्तृत विवरणी तथा किनके द्वारा नये खाते का संचालन होगा यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
- आवेदन के साथ प्रशिक्षण केन्द्रों को निम्न कागजात संलग्न करने होंगे—
 - बैंक खाता परिवर्तन के संबंध में संस्था द्वारा पारित रिजॉल्यूशन की प्रति।
 - संस्था का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट।
 - बैंक के द्वारा संस्था के पैन नम्बर एवं बैंक खाते का लिंक होने संबंधी प्रमाण पत्र।
 - प्रोपराइटर अथवा सभी पार्टनर/डायरेक्टर/चेयरमेन/प्रेसिडेंट, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का एक्जिक्यूटिव /ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र एवं आईडी प्रूफ।
 - संस्था द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन में चलाये जा रहे सभी कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची।
 - बीएसडीएम की संतुष्टि हेतु कोई भी अन्य कागजात।
- राज्य पीएमयू द्वारा बैंक खाता या विवरणी में परिवर्तन हेतु अनुशंसा।
- बैंक खाते में परिवर्तन या इसी तरह पैन नम्बर/लीगल दस्तावेज में परिवर्तन केवल **Exceptional Circumstances** में ही किया जायेगा।

**ऑफ़लाइन बैंक खाता परिवर्तन प्रक्रिया के लिए सूची देखें: कुशल युवा कार्यक्रम और डोमेन कौशल
(केवल असाधारण परिस्थितियों में अनुमति दी जानी चाहिए)**

संगठन का नाम		
संगठन का प्रकार		
हार्ड कॉपी में विस्तृत आवेदन		
सभी हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन और अनुलग्नक: मालिक/ सभी भागीदार / प्रबंध निदेशक / सभी निदेशक ट्रस्ट- अध्यक्ष/अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष		
आज की तारीख में हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची		
हस्ताक्षरकर्ताओं का आईडी प्रमाण- व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित पैन / आधार कार्ड		
निर्धारित प्रारूप में आवेदन के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं से कार्यकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र		
बैंक खाता बदलने का कारण:		
संगठन द्वारा पारित संकल्प की प्रति -प्रोपराइटरशिप के मामले में लागू नहीं		
संकल्प को निर्दिष्ट करना चाहिए- बैंक खाते का हस्ताक्षरकर्ता कौन होगा		
बैंक द्वारा प्रमाण पत्र - प्रस्तावित बैंक खाते के साथ पैन को जोड़ना		
बैंक द्वारा प्रमाण पत्र - जो बैंक खाते के हस्ताक्षरकर्ता हैं		
संगठन के पंजीकरण दस्तावेज की प्रतिलिपि		
बीएसडीएम के तहत संगठन द्वारा संचालित सभी कौशल विकास केंद्रों (एसडीसी) की सूची उनके कोड, जिला, ब्लॉक के साथ।		
मौजूदा बैंक खाते का विवरण:		
खाता धारक का नाम-		
बैंक का नाम और खाते का प्रकार-		
बैंक खाता संख्या-		
आईएफएससी कोड-		
शाखा का नाम-		
प्रस्तावित बैंक खाता विवरण:		
खाता धारक का नाम-		
बैंक का नाम और खाते का प्रकार-		
बैंक खाता संख्या-		
आईएफएससी कोड-		
शाखा का नाम-		
मौजूदा खाते और प्रस्तावित खाते का खाता नाम समान है।		
बीएसडीएम पोर्टल पर संगठन के पैन से जुड़ा प्रस्तावित बैंक खाता घोषित		

प्रस्तावित बैंक खाते का चेक रद्द।		
बैंक खाता बदलने के लिए राज्य प्रबंधन टीम की अनुमोदन		

3. ई मेल आई0डी0 तथा मोबाईल नम्बर में परिवर्तन

- कौशल विकास केंद्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- इसके लिये किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
- यह ओटीपी आधारित बदलाव होगा।
- नए मोबाइल फोन और ईमेल पते पर ओटीपी भेजा जाएगा।
- हालाँकि, परिवर्तन के अनुरोध से संबंधित संदेश पुराने पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर भी भेजा जाएगा।
- अपवादी स्थितियों में इस तरह के परिवर्तन हेतु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन एवं अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

केन्द्र निरीक्षण प्रपत्र (Check list for centre visit):-

Centre Visit Report			
योजना / कार्यक्रम का नाम			(KYP
केंद्र का नाम:		केंद्र कोड:	
अंचल का नाम	: जिला	निरीक्षण की तिथि	
निरीक्षण कर्ता का नाम		पदनाम:	
पोर्टल पर पता			
क्र.	जाँच विन्दु निरीक्षण के अनुसार उपलब्धता (हाँ/नहीं)	उपलब्धता (हाँ /नहीं/ संख्या)	यदि कोई टिप्पणी हो
1	दौरे के समय केंद्र खुला था		
2	दौरे के समय बैच चल रहा था		
3	केंद्र पोर्टल पर स्वीकृत पते पर चल रहा है		
4	कक्षा क्षेत्रफल की उपलब्धता मानक के अनुसार।		
5	प्रयोगशाला क्षेत्रफल की उपलब्धता मानक के अनुसार।		
6	स्वीकृत केंद्र समन्वयक मौजूद था।		
7	पोर्टल के अनुसार स्वीकृत शिक्षण सुविधा प्रदाता / TOT पास ट्रेनर, केंद्र में मौजूद हैं।		
8	प्रशिक्षण के समय मौजूद प्रशिक्षणार्थियों की संख्या।		
9	prescribed बायोमैट्रिक डिवाइस की उपलब्धता		
10	अनियमितता या प्रतिनिधित्व रिपोर्ट, यदि कोई हो, कम से कम 10 उम्मीदवारों की सभी 10 उंगलियों की जांच के माध्यम से या अधिकतम।		
11	मानक सीसीटीवी / आईपी आधारित कैमरा की उपलब्धता और केंद्र में पिछले 7 दिनों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है।		
12	पाठ्यक्रम के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता।		
13	संचालनशील एलसीडी / प्रोजेक्टर उपलब्ध है।		
14	ऊर्जा पूर्ववत उपलब्धता: संचालन ऑनलाइन यूपीएस।		
15	इंटरनेट उपलब्ध है।		
16	आगंतुक रजिस्टर उपलब्ध है।		
17	पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है।		
18	संचालनशील शौचालय उपलब्ध हैं		
19	स्वागत कक्ष उपलब्ध है।		
20	विभाग, बीएसडीएम या किसी अन्य विनियामक संगठन द्वारा अनिवार्य रूप से आवश्यक चिन्ह / बैनर स्थान पर हैं।		
21	केंद्र से समग्र रूप से संतु		

सत्यापन अधिकारी का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

एसडीसी प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

*महत्वपूर्ण निर्देश:

1- कृपया सत्यापित एसडीसी रिपोर्ट को सत्यापन से पहले डाउनलोड करें 2- प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पोर्टल पर अपलोड किए गए एक्सेल फाइल के साथ टूल और उपकरण सत्यापित करें।

जिला वार केन्द्रों की संख्या

क्र सं	जिला का नाम	केन्द्रों की संख्या				
		SDC	BSDC	ITI	P&E	Total
1	अररिया	19	9	1	1	30
2	अरवल	16	5			21
3	औरंगाबाद	29	11			40
4	बांका	15	11	1	2	29
5	बेगूसराय	37	18		4	59
6	भामुआ	18	11		4	33
7	भागलपुर	34	14	1	3	52
8	भोजपुर	38	13			51
9	बक्सर	36	10	1		47
10	दरभंगा	24	18	1	2	45
11	पूर्वी चंपारण	59	27	1	6	93
12	गया	41	23	1	3	68
13	गोपालगंज	28	14		4	46
14	जमुई	14	10	1	3	28
15	जहानाबाद	10	7			17
16	कटिहार	24	15		3	42
17	खगरिया	16	7			23
18	किशनगंज	14	7		2	23
19	लखीसराय	13	5		3	21
20	मधेपुरा	25	13		2	40
21	मधुबनी	41	20	1	2	64
22	मुंगेर	18	9	1	2	30
23	मुजफ्फरपुर	46	16	1	4	67
24	नालन्दा	41	20	1	5	67
25	नवादा	22	14		2	38
26	पटना	67	21	1	7	96
27	पूर्णिया	29	14	1	2	46
28	रोहतास	46	19	1	3	69
29	सहरसा	25	10		4	39
30	समस्तीपुर	60	18		2	80
31	सारण	73	19	1	2	95
32	शेखपुरा	11	6			17
33	शिवहर	14	5		2	21
34	सीतामढ़ी	28	16		6	50
35	सिवान	47	19		1	67
36	सुपौल	18	10	1	2	31
37	वैशाली	38	13		3	54
38	पश्चिमी चंपारण	35	16	1		52
कुल केन्द्रों की संख्या		1169	513	18	91	1791

कुशल युवा कार्यक्रम की वर्षवार प्रगति

वित्तीय वर्ष 2016-17					
क्र.सं.	जिला का नाम	नामांकन	पास	फेल	प्रशिक्षित
1	अररिया	490	294	28	325
2	अरवल	478	268	26	299
3	औरंगाबाद	943	643	47	703
4	बांका	953	553	22	584
5	बेगूसराय	1361	958	37	1005
6	भामुआ	800	403	64	497
7	भागलपुर	850	553	18	591
8	भोजपुर	1476	948	42	1014
9	बक्सर	829	500	20	533
10	दरभंगा	700	411	29	451
11	पूर्वी चंपारण	958	536	32	587
12	गया	1142	597	26	636
13	गोपालगंज	730	533	11	552
14	जमुई	1041	693	21	726
15	जहानाबाद	419	210	27	242
16	कटिहार	581	369	24	402
17	खगरिया	370	243	31	286
18	किशनगंज	264	190	2	193
19	लखीसराय	80	71	0	71
20	मधेपुरा	557	417	22	456
21	मधुबनी	1374	882	21	927
22	मुंगेर	169	127	0	127
23	मुजफ्फरपुर	1584	958	54	1027
24	नालन्दा	1379	741	34	788
25	नवादा	674	377	17	402
26	पटना	2331	1477	60	1565
27	पूर्णिया	805	538	33	581
28	रोहतास	1342	849	55	920
29	सहरसा	676	406	20	448
30	समस्तीपुर	2061	1313	54	1381
31	सारण	1868	1088	73	1202
32	शेखपुरा	440	290	8	303
33	शिवहर	221	147	4	154
34	सीतामढ़ी	468	322	5	331
35	सिवान	1213	882	15	907
36	सुपौल	740	514	36	559
37	वैशाली	1174	782	37	826
38	पश्चिमी चंपारण	585	469	3	476
कुल संख्या		34126	21552	1058	23077

वित्तीय वर्ष 2017-18					
क्र.सं.	जिला का नाम	नामांकन	पास	फेल	प्रशिक्षित
1	अररिया	4099	3640	65	3728
2	अरवल	3913	3185	92	3320
3	औरंगाबाद	8964	8208	182	8442
4	बांका	4669	4104	126	4252
5	बेगूसराय	11516	10575	148	10784
6	भागमुआ	4831	4195	85	4353
7	भागलपुर	9376	8318	234	8655
8	भोजपुर	11093	9977	296	10342
9	बक्सर	7057	6458	84	6585
10	दरभंगा	7602	6724	104	6881
11	पूर्वी चंपारण	12788	11588	186	11857
12	गया	10479	9100	376	9560
13	गोपालगंज	9533	8766	149	8962
14	जमुई	5949	5319	104	5466
15	जहानाबाद	3420	2981	105	3099
16	कटिहार	8191	7302	275	7633
17	खगरिया	5138	4649	95	4797
18	किशनगंज	2487	2197	37	2242
19	लखीसराय	3356	3142	22	3197
20	मधेपुरा	7151	6474	188	6692
21	मधुबनी	13677	12411	207	12700
22	मुंगेर	4681	4285	47	4375
23	मुजफ्फरपुर	12764	11218	313	11643
24	नालन्दा	10300	9315	256	9618
25	नवादा	6942	6225	141	6413
26	पटना	21385	18845	449	19464
27	पूर्णिया	8422	7520	196	7794
28	रोहतास	12819	11432	308	11864
29	सहरसा	6999	6132	200	6438
30	समस्तीपुर	19152	17641	303	18056
31	सारण	15514	14040	404	14601
32	शेखपुरा	3813	3537	44	3605
33	शिवहर	2402	2122	36	2180
34	सीतामढी	6385	5461	181	5729
35	सिवान	14491	13427	245	13756
36	सुपौल	5191	4788	97	4917
37	वैशाली	14456	13138	197	13473
38	पश्चिमी चंपारण	8970	8242	173	8445
कुल संख्या		329975	296681	6750	305918

वित्तीय वर्ष 2018-19					
क्र.सं.	जिला का नाम	नामांकन	पास	फेल	प्रशिक्षित
1	अररिया	5709	4453	71	4544
2	अरवल	4125	3112	62	3193
3	औरंगाबाद	8785	7052	106	7203
4	बांका	5024	3731	90	3857
5	बेगूसराय	14963	12250	101	12424
6	भागमुआ	6628	5104	98	5253
7	भागलपुर	10284	7474	157	7690
8	भोजपुर	10071	7796	133	7975
9	बक्सर	10192	8378	74	8484
10	दरभंगा	8686	6484	118	6667
11	पूर्वी चंपारण	16544	13374	159	13583
12	गया	13920	10727	252	11020
13	गोपालगंज	9427	7626	92	7770
14	जमुई	6113	4816	48	4926
15	जहानाबाद	3980	3386	46	3447
16	कटिहार	8990	6852	139	7053
17	खगरिया	5368	3990	82	4132
18	किशनगंज	3091	2470	26	2507
19	लखीसराय	4590	3877	20	3904
20	मधेपुरा	8892	6507	203	6740
21	मधुबनी	13637	10607	156	10831
22	मुंगेर	5878	4635	55	4731
23	मुजफ्फरपुर	12876	9786	171	10071
24	नालन्दा	13018	10490	139	10657
25	नवादा	8688	6535	112	6696
26	पटना	20135	15762	195	16038
27	पूर्णिया	6889	5003	150	5195
28	रोहतास	13958	11204	171	11476
29	सहरसा	7346	5238	157	5432
30	समस्तीपुर	18911	14699	266	15050
31	सारण	18993	14956	229	15279
32	शेखपुरा	3822	3009	53	3081
33	शिवहर	3004	2070	64	2152
34	सीतामढी	8966	6837	65	6938
35	सिवान	14818	11905	183	12157
36	सुपौल	6132	4638	132	4785
37	वैशाली	11909	9599	145	9816
38	पश्चिमी चंपारण	11046	9118	97	9246
कुल संख्या		365408	285550	4617	292003

वित्तीय वर्ष 2019-20					
क्र.सं.	जिला का नाम	नामांकन	पास	फेल	प्रशिक्षित
1	अररिया	4397	3565	63	3638
2	अरवल	2630	2042	22	2074
3	औरंगाबाद	8270	6842	87	6955
4	बांका	3216	2534	50	2595
5	बेगूसराय	10785	8659	75	8794
6	भागमुआ	5331	4159	41	4221
7	भागलपुर	7397	5738	73	5850
8	भोजपुर	7339	5981	61	6070
9	बक्सर	8922	7583	123	7739
10	दरभंगा	5533	4246	71	4374
11	पूर्वी चंपारण	13195	10692	185	10938
12	गया	10009	8149	141	8315
13	गोपालगंज	6889	5757	61	5838
14	जमुई	4125	3370	37	3428
15	जहानाबाद	2980	2767	20	2790
16	कटिहार	5689	4709	33	4765
17	खगरिया	3702	2815	76	2917
18	किशनगंज	2941	2361	46	2458
19	लखीसराय	3692	3138	21	3173
20	मधेपुरा	5116	3894	53	3970
21	मधुबनी	8652	7071	66	7222
22	मुंगेर	5150	4065	26	4120
23	मुजफ्फरपुर	10727	8289	150	8494
24	नालन्दा	12001	10549	72	10666
25	नवादा	6222	4955	57	5032
26	पटना	15241	12424	169	12707
27	पूर्णिया	5130	3741	66	3838
28	रोहतास	11434	9775	60	9868
29	सहरसा	4547	3195	62	3287
30	समस्तीपुर	14194	11494	106	11722
31	सारण	15792	13159	153	13359
32	शेखपुरा	3321	2873	31	2909
33	शिवहर	2733	2280	34	2314
34	सीतामढी	7329	5837	79	5948
35	सिवान	11211	9077	115	9218
36	सुपौल	4193	3434	48	3487
37	वैशाली	9781	8173	98	8325
38	पश्चिमी चंपारण	8603	7082	94	7205
कुल संख्या		278419	226474	2825	230623

वित्तीय वर्ष 2020-21					
क्र.सं.	जिला का नाम	नामांकन	पास	फेल	प्रशिक्षित
1	अररिया	698	596	9	608
2	अरवल	396	333		335
3	औरंगाबाद	1389	1215	9	1229
4	बांका	653	506	13	528
5	बेगूसराय	2250	1794	16	1821
6	भागमुआ	1156	928	5	940
7	भागलपुर	1521	1171	21	1196
8	भोजपुर	1745	1482	19	1512
9	बक्सर	1471	1165	14	1185
10	दरभंगा	1172	909	11	923
11	पूर्वी चंपारण	2296	1826	28	1868
12	गया	2009	1693	14	1712
13	गोपालगंज	1274	974	11	991
14	जमुई	677	577	1	580
15	जहानाबाद	705	657	1	658
16	कटिहार	826	613	7	622
17	खगरिया	596	424	6	434
18	किशनगंज	502	405	4	410
19	लखीसराय	550	437	4	446
20	मधेपुरा	1000	766	7	778
21	मधुबनी	1637	1279	20	1315
22	मुंगेर	958	751	8	764
23	मुजफ्फरपुर	2142	1743	22	1776
24	नालन्दा	2285	2002	8	2019
25	नवादा	1183	969	2	974
26	पटना	3097	2583	23	2620
27	पूर्णिया	997	754	9	768
28	रोहतास	2353	2012	16	2035
29	सहरसा	649	474	16	498
30	समस्तीपुर	2491	1977	18	2018
31	सारण	3422	2836	36	2891
32	शेखपुरा	619	567	2	570
33	शिवहर	350	236	3	240
34	सीतामढी	1357	1114	10	1134
35	सिवान	2300	1832	23	1867
36	सुपौल	703	520	3	527
37	वैशाली	2032	1703	11	1721
38	पश्चिमी चंपारण	1279	961	23	988
कुल संख्या		52740	42784	453	43501

वित्तीय वर्ष 2021-22

क्र.सं.	जिला का नाम	नामांकन	पास	फेल	प्रशिक्षित
1	अररिया	3170	2336	53	2417
2	अरवल	2536	1984	19	2023
3	औरंगाबाद	7353	6009	29	6073
4	बांका	2991	2266	53	2364
5	बेगूसराय	9369	7660	41	7764
6	भामुआ	4630	3673	30	3751
7	भागलपुर	5421	4279	62	4394
8	भोजपुर	6309	5084	42	5189
9	बक्सर	6394	5254	66	5369
10	दरभंगा	4179	3265	42	3347
11	पूर्वी चंपारण	10504	8071	77	8247
12	गया	8647	6884	85	7033
13	गोपालगंज	5923	4813	82	4958
14	जमुई	3930	3287	18	3334
15	जहानाबाद	2537	2168	10	2189
16	कटिहार	5030	3951	35	4042
17	खगरिया	2363	1517	33	1575
18	किशनगंज	2270	1729	20	1763
19	लखीसराय	2360	1934	12	1962
20	मधेपुरा	3778	2845	39	2927
21	मधुबनी	6940	5541	34	5633
22	मुंगेर	3929	3189	24	3256
23	मुजफ्फरपुर	8398	6867	73	7011
24	नालन्दा	9851	8368	61	8493
25	नवादा	4855	3842	54	3936
26	पटना	11625	9480	112	9677
27	पूर्णिया	4557	3167	73	3289
28	रोहतास	9493	7904	59	8022
29	सहरसा	3268	2264	30	2362
30	समस्तीपुर	9672	7602	61	7761
31	सारण	13025	10759	142	11012
32	शेखपुरा	2919	2497	16	2536
33	शिवहर	1627	1180	21	1220
34	सीतामढ़ी	5560	4457	30	4520
35	सिवान	8489	6926	78	7086
36	सुपौल	3190	2410	33	2465
37	वैशाली	8415	7071	48	7172
38	पश्चिमी चंपारण	5753	4349	51	4444
कुल संख्या		221260	176882	1848	180616

वित्तीय वर्ष 2022-23

क्र.सं.	जिला का नाम	नामांकन	पास	फेल	प्रशिक्षित	प्रशिक्षण रत
1	अररिया	7894	4686	71	6080	1751
2	अरवल	4955	2844	27	3619	1298
3	औरंगाबाद	13412	8676	56	10274	3078
4	बांका	6187	3496	85	4684	1464
5	बेगूसराय	18358	10900	86	13415	4839
6	भामुआ	12073	6469	94	8702	3269
7	भागलपुर	13627	8224	58	10385	3156
8	भोजपुर	12601	8187	73	9774	2779
9	बक्सर	10345	6236	64	7919	2344
10	दरभंगा	21221	13389	84	16933	4127
11	पूर्वी चंपारण	17798	10983	175	14017	3694
12	गया	12148	7863	75	9455	2614
13	गोपालगंज	6505	4184	16	5026	1450
14	जमुई	4721	3114	13	3686	1015
15	जहानाबाद	8096	5210	35	6178	1861
16	कटिहार	11618	7389	62	9315	2222
17	खगरिया	5029	2599	25	3793	1197
18	किशनगंज	5801	3847	43	4695	1073
19	लखीसराय	4677	2855	58	3554	1090
20	मधेपुरा	8397	4747	73	6485	1823
21	मधुबनी	14670	8977	81	11393	3200
22	मुंगेर	9120	5610	27	7145	1912
23	मुजफ्फरपुर	18375	11613	136	14335	3965
24	नालन्दा	18048	11948	129	14286	3632
25	नवादा	9101	5482	79	6995	2050
26	पटना	20673	12831	163	15972	4548
27	पूर्णिया	12071	6898	95	9383	2592
28	रोहतास	18765	11492	86	14646	3969
29	सहरसा	8102	4427	52	6238	1785
30	समस्तीपुर	19000	11181	151	14239	4637
31	सारण	25730	16514	207	20228	5344
32	शेखपुरा	5863	4038	22	4791	1049
33	शिवहर	3471	2077	10	2732	722
34	सीतामढ़ी	11476	7222	58	9080	2324
35	सिवान	16890	10781	90	13144	3623
36	सुपौल	6870	3959	66	5540	1278
37	वैशाली	15762	10035	80	12242	3417
38	पश्चिमी चंपारण	11693	6770	54	9034	2578
कुल संख्या		451143	277753	2859	349412	98769